पत्र सं0-जनसूचना-(IGRS) /17-18/ —112— / वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश
(जनसूचना-अनुभाग, IGRS प्रकोष्ठ)
दिनांक :: लखनऊ 21, फरवरी, 2018

प्रेषक,

कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

विषयः- समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली (IGRS) -जनसुनवाई के प्रभावी क्रियान्वयन के सम्बन्ध मे।

कृपया शासनादेश संख्या-1/2018/117/पैतीस–2–2018–3/39(4)/18 नियोजन अनुभाग –2 दिनांक 08-02-2018 एवं कमिश्नर महोदया के पत्र संख्या कमिश्नर कैम्प/2017–18/283 वाणिज्य कर दिनॉक 19–02–2018 का अवलोकन करने का कष्ट करें जिसमें शासन द्वारा यह अवगत कराया गया है कि कतिपय प्रकरणों में जिस अधिकारी/कर्मचारी की शिकायत की जाती है वह प्रकरण उसी अधिकारी/कर्मचारी को निस्तारण हेतु संदर्भित कर दिया जाता है, जिससे शिकायतों का निष्पक्षता से निस्तारण सम्भव नहीं हो पाता है।

प्रायः यह देखने में आया है कि कतिपय जोनों में एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–1 तथा ज्वाइंट कमिश्नर कार्यपालक/वि0अनु0शा0 द्वारा अपना लॉगिन आई0डी0 जिले के राज्य सूचना एवं विज्ञान अधिकारी (एन0आई0सी0) से अभी तक प्राप्त नहीं किया गया है। अतः उक्त जोनों में डिप्टी कमिश्नर/असि0कमिश्नर की ही लॉगिन आई0डी0 पर ही शिकायतों को अंतरित किया जा रहा है ऐसी दशा में उक्त निर्देशों एवं शिकायत की जॉच/निस्तारण सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी से कम से एक स्तर ऊपर के अधिकारी से कराया जाए, का अनुपालन किया जाना संभव नहीं हो पा रहा है।

अतः वाणिज्य कर मुख्यालय लखनऊ द्वारा संबन्धित जोन के एडिशनल कमिश्नर ग्रेड–1 को ई-मार्किंग की जायेगी। जोन स्तरीय नोडल अधिकारी (एडिशनल कमिश्नर ग्रेड–1) अपने से निचले स्तर पर कर निर्धारण से सम्बन्धित शिकायतों के लिए सम्बन्धित ज्वाइंट कमिश्नर (कार्यपालक) एवं प्रर्वतन संबंधी शिकायतों के लिए सम्बन्धित ज्वाइंट कमिश्नर (वि0अनु0शा) को ई–मार्किंग (अग्रसारण) कर संदर्भ को निस्तारित करने के लिए निर्देशित कर सकते है।

अतः जिन जोनों में एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–1 एवं ज्वाइंट कमिश्नर कार्यपालक/वि0अनु0शा0 द्वारा अपना लॉगिन आई0डी0 अभी तक प्राप्त नहीं किया गया है उनसे अपेक्षा की जाती है कि सम्बन्धित अधिकारी प्रत्येक दशा में दिनॉक 28.02.2018 तक अपना लॉगिन आई0डी0 जिले के राज्य सूचना एवं विज्ञान अधिकारी (एन0आई0सी0) से प्राप्त कर मुख्यालय को सूचित कर प्रत्येक कार्य दिवस में आई0जी0आर0एस0पोर्टल पर लॉगिन कर संदर्भो को उपरोक्त शासनादेश एवं मुख्यालय द्वारा जारी उक्त पत्र के अनुसार निस्तारित कराने का कष्ट करें।

यह पत्र कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0 के अनुमोदनोपरान्त निर्गत किया जा रहा है कृपया शासन द्वारा निर्धारित व्यवस्थाओं एवं उक्त निर्देशों के अनुसार तत्परतापूर्वक कड़ाई से अनुपालन करने का कष्ट करें।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

(सुधा वर्मा)
एडीशनल कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृ0पत्रसंख्या व दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि : ज्वाइंट कमिश्नर (आई0टी0) वाणिज्य कर, मुख्यालय लखनऊ को विभाग की वेबसाइट की नोटिस बोर्ड पर अपलोड कराने हेतु।

21/02/18

एडीशनल कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।